24-3-25

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया निर्णय प्रति पृथक से ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03 / 26 / 2023	21.07.2023	136 LR Act	२५ .03.2025

बउनवान

1–बिजेन्द्र पुत्र श्री रूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम बहादुरपुर तहसील व जिला अलवर राज० का निवासी है, जो एक शांतिप्रिय व कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है आराजी खाता संख्या नया 303 खाता संख्या पुराना 295 के आराजी खसरा नंबर 449 रकबा 0.92 हैक्टेयर वाके ग्राम बहादुरपुर पट्टी कटला तहसील व जिला अलवर राज० में स्थित है

उपरोक्त आराजी खाता संख्या नया 303 खाता संख्या पुराना 295 के आराजी खसरा नंबर 449 रकबा 0.92 हैक्टेयर वाके ग्राम बहादुरपुर पट्टी कटला तहसील व जिला अलवर राज०के साबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2023–2026 में प्रार्थी के दादा का नाम बिडदा पुत्र नानकसिंह जाति खत्री अंकित था किन्तु जमाबंदी संवत् 2027–2030 में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी के दादा का नाम बिडदा पुत्र नानकसिंह जाति खत्री अंकित हो गया तथा हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् संवत् 2069–2074 व उसके उपरांत की जमाबंदियों में प्रार्थी के दादा का नाम बिडदा पुत्र नाननसिंह जाति खत्री अंकित हो गया है

प्रार्थी के दादा का नाम बिडदा पुत्र नानकसिंह जाति राजपूत है, तथा प्रार्थी के दादा की मृत्यु हो चुकी है, तथा जिनके मृत्यु प्रमाणपत्र में प्रार्थी के दादा का नाम बिडदा पुत्र नानकसिंह अंकित है किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी के दादा का नाम बिडदा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

पुत्र नानकसिंह जाति खत्री के स्थान पर बिडदा पुत्र नानानसिंह जाति खत्री अंकित हो गया है।

उक्त गलत इन्द्राज लिपिकीय त्रुटि के कारण हुआ है और उक्त गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी व्यथित पक्षकार हैं, इसलिये प्रार्थी उक्त गलत इन्द्राज की दुरूस्ती कराने का अधिकारी हैं, जिस हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

यह कि प्रार्थी को पूर्व में उपरोक्त गलत इन्द्राज की कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम बार दिनांक को जानकारी हुई जिस पर राजस्व कर्मचारियों से उक्त इन्द्राज को दुरूस्ती करने का निवेदन किया तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया जो तारीख आवेदन पत्र के लिये विनायदावी व विनायमुखासमत है जिससे प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि पेश है।

अतः प्रार्थनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खाता संख्या नया 303 खाता संख्या पुराना 295 के आराजी खसरा नंबर 449 रकबा 0.92 हैक्टेयर वाके ग्राम बहादुरपुर पट्टी कटला तहसील व जिला अलवर राज के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के दादा का नाम बिडदा पुत्र नानानसिंह जाति खत्री के स्थान पर बिडदा पुत्र नानकसिंह जाति राजपूत दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट उप तहसीलदार बहादरपुर तहसील अलवर क्रमॉक भू0अ0/2024/635 दिनॉक 29–7–2024 के अनुसार न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थी श्री बिजेन्द्र पुत्र श्री रूपसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम बहादुरपुर तह० अलवर ने श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो उनवान बिजेन्द्र बनाम सरकार प्रकरण आराजी ख0नं0 449 रकबा 0.92 है. वाके ग्राम बहादुरपुर पट्टी कटला तह० अलवर वर्तमान में जेरकार न्यायालय है जांच करवाई गई ग्राम बहादुरपुर पट्टी कटला के हाल ख0नं0 449 रकबा 0.92 है. जिसके साबिक ख0नं0 207 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा है। जो कि मिसल सम्वत् 2020 के खाता नं. 42 में बिडदा वल्द नानकसिंह कोम राजपूत सा.देह मु.३साल खातेदार ख0नं0 207 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2038 तहरीर करते समय खाता नं. 93 में बिडदा पुत्र नानकसिंह कोम खत्री सा. देह खातेदार दर्ज हो गया तथा मिसल सम्वत् 2051 के खाता नं. 282 में विडदा पुत्र नानानसिंह कोम खत्री सा. देह खातेदार दर्ज हो गया। इस प्रकार सम्वत् 2038 में प्रार्थी के दादा की जाति राजपूत के बजाय सहवन से खत्री दर्ज हो गई तथा सम्वत् 2051 की मिसल में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से नानकसिंह के स्थान पर नानानसिंह दर्ज हो गया जोकि गलत है। अतः श्रीमान बिडदा पुत्र नानकसिंह कोम राजपूत दर्ज किया जाना उचित है. रिपार्ट सादर प्रेषित है

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

...प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर
...है तो उसको दुरूस्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह
...निर्धारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को
...त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं
...सीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा शुद्धिकरण के लिये उक्त
...धन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन उप
...सीलदार बहादरपुर तहसील अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है रिपोर्ट/रिकार्ड
...सार मुताबिक वाके ग्राम बहादरपुर पटटी कटला तहसील अलवर मे आराजी खाता सं0
...या 303 खाता संख्या पुराना 295 के आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 0.92 है0 मे प्रार्थी के
...दा का नाम बिडदा पुत्र नानन सिंह जाति खत्री **के स्थान पर बिडदा पुत्र नानक सिंह जाति**
...जपूत राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 24-3-25 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर